बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, बिहार, पटना - 800001

आवंटनादेश सं०-01/दि0स0नि0(बजट)-02/2025 स.क.- पटना, दिनांक-

प्रेषक,

भुवन कुमार,
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक के अंतर्गत दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल रू० 62,50,000/- (बासठ लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-01/दि०स०नि०(यो०)-21/2025-92 दिनांक-22.07.2025 (प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक के अंतर्गत दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल रू० 2,00,00,000/- (दो करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में कुल रू० 62,50,000/- (बासठ लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है ।

2. भारित राशि की निकासी मांग सं0-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0119-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विषय शीर्ष-0119.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड 51-2235021010119, पी०एफ०एम०एस कोड-BRPA00011481 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

3. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 एवं अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा ।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे ।

5. आवंटित राशि की निकासी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना से हस्ताक्षरित Pre Receipt Voucher के आधार पर की जायेगी ।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार से राशि की निकासी कर दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना हेतु HDFC Bank में खोले गये Saving Account खाता सं०-50100719926037

IFSC Code-HDFC0005076 में राशि अंतरित की जायेगी। राशि का हस्तांतरण लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) के माध्यम से किया जायेगा ।

8. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-270 के आलोक में योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी BTC Form 42 पर करने की स्वीकृति दी जाती है ।

9. भुगतान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा महालेखाकार कार्यालय को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-271 के अनुसार BTC Form 42A में भेजा जायगा ।

10. यह चालू योजना है । अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रस्ताव पर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह०/-
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः-01/दि0स0नि0(बजट)-02/2025 स.क.- पटना, दिनांकः-
प्रतिलिपिः-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-
उप निदेशक

ज्ञापांकः-01/दि0स0नि0(बजट)-02/2025 स.क.- पटना, दिनांकः-
प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-
उप निदेशक

ज्ञापांकः-01/दि0स0नि0(बजट)-02/2025 स.क.-23 पटना, दिनांकः- 12.02.2026
प्रतिलिपिः-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित (आवंटनादेश को समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय)।

12-2-26
उप निदेशक